गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

गैर वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि (ग्राम दौलतपुर जनूवी, परगना व तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा की गाटा संख्या 168/0.691 हे0 का कुल भाग, 166/0.821 हे0 का कुल भाग, व 165/0.694 हे0 में से 0.168 हे0 कुल 03 किते क्षेत्रफल 2.206 हे0 में से 1.680 हे0) निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है, एवं इसका शासनादेश संख्या VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर–2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा

उपजिलाधिकारी
हसनपुर

21.10.2021
(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

देवनाथ मिश्र
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा